न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 47/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1–श्री गोबरीलाल पुत्रान श्री शंकर जाति–बैरवा नि. बमोरीकलां
2–श्री जगन्नाथ तहसील– मांगरोल जिला– बारां (राज.)
3–श्रीमती मांगीबाई पुत्री शंकर पत्नि भरोसा जाति–बैरवा नि. ग्राम हरीपुरा तहसील–पीपल्दा जिला कोटा (राज.) **(अप्रार्थीगण)**

जिला कलेक्टर बारां (राज.)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2. श्री नंदकिशोर गुर्जर, अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

आदेश दिनांक– 31.03.2021

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख0नं0 2352 रकबा 0.45 है0 किस्म नहरी I वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील–मॉगरोल अप्रार्थीगण के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट सम्वत् 2014–23 पूर्व साबिक खसरा नम्बर 93 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाई दर्ज रहे है, जिसके सेटलमेन्ट सम्वत् 2044–63 जमाबन्दी में खसरा नंबर 175 रकबा 0.48 है. खातेदार श्री शंकर पुत्र हरल्या जाति–चमार सा. देह बमोरीकलां तहसील–मॉगरोल के खाते दर्ज है। उक्त आराजी के सन् 2000–2001 में हुये केचमेन्ट में नवीन खसरा नंबर 2352 रकबा 0.45 है.किस्म नहरी I कायम हुये हैं। उक्त आराजी ख0नं0 93 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा, सेटलमेंट बन्दोबस्त सम्वत् 2014–23 में गै.मु.तलाई दर्ज है। जिसका आवंटन/नियमन अप्रार्थीगण के पिता को किया गया है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थीगण के पिता को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्ध है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी. याचिका संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटन को निरस्त करते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये तथा दिनांक 30.03.2017 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

3— अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपने जवाब में लिखा है कि प्रार्थी तहसीलदार,मॉगरोल ने अप्रार्थीगण के विरूद्व गलत कार्यवाहीं पेश की गयी है। विवादित आराजी ख0नं0 93 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा अप्रार्थीगण के पिता शंकरलाल वल्द हरलाल जाति बैरवा निवासी बमोरीकलां तहसील मांगरोल को 50 साल पहले आवंटन हुयी थी तथा पिता के फोत होने पर उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त आराजी के नवीन खसरा नंबर 2352 रकबा 0.45 है. है, जो अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा अप्रार्थीगण ही बदस्तूर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण के पास उक्त आराजी के अलावा अपने जीविकोपार्जन हेतु कोई आराजी नहीं है तथा एक मात्र यही आराजी आय का स्त्रोत है। अतः रेफरेंस कार्यवाहीं निरस्त फरमायी जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्वान पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण के अभिभाषक की सुनी गयी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्राथीगण के पिता श्री शंकरलाल पुत्र हरलाल जाति—बैरवा सा.देह बमोरीकलां को ग्राम बमोरीकलां की आराजी खसरा नम्बर 93 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, गै.मु.तलाई भूमि आवंटित हुयी थी। जिस वक्त भूमि आवंटित हुयी है उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 175 रकबा 0.48 है0 बने तथा सन् 2000—2001 में हुये केचमेन्ट में नवीन खसरा नंबर 2352 रकबा 0.45 है.किस्म नहरी I कायम हुये हैं। जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। जिसकी किस्म नहरी I दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थीगण को उक्त आवंटन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अतः उक्त निर्णयानुसार उक्त नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

6— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता श्री शंकर पुत्र हरल्या जाति—चमार सा.देह बमोरीकलां तहसील—मॉगरोल अनुसूचित जाति के भूमिहीन कृषक होने से, उन्हे उक्त आराजी आवंटित हुई थी। वक्त आवंटन उक्त आराजी काबिल काश्त थी जिस कारण उक्त आराजी आवंटित की गयी थी तथा तत्समय मौके पर दखल भी दिया गया था। इसलिये पेरोकार सरकार का यह कहना कि वक्त आवंटन उक्त आराजी गै.मु.तलाई थी। पूर्णतया निराधार है। राजस्व रेकार्ड में यदि गै.मु. तलाई दर्ज है तो रेकार्ड दुरूस्ती का मामला बनता है। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण आवंटन पश्चात् से बदस्तूर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी को काश्त कर परिवार का पालन पोषण करते आ रहे है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये नम्बर ख0नं0 175 रकबा 0.48 है0, बने है तथा सन् 2000—2001 में हुये केचमेन्ट में नवीन खसरा नंबर 2352 रकबा 0.45 है. बने जो वर्तमान में सम्वत् 2069—72 जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। आवंटित आराजी पर अप्रार्थीगण को खातेदारी मिल चुकी है। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे विधि के प्रावधान तथा उच्च न्यायालय की नजीरें है।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार,मॉगरोल द्वारा 50 वर्ष पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण को उक्त आराजीयात् का विधि सम्मत व प्रकिया के तहत आवंटन हुआ है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिये रेफरेन्स प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

7— हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014—23 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 93 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थीगण के पिता श्री शंकर पुत्र हरल्या जाति—चमार सा.देह बमोरीकलां तहसील—मॉगरोल को आवंटन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये नम्बर खसरा नम्बर 175 रकबा 0.48 है0 किस्म नहरी I बने तथा सन् 2000—2001 में हुये केचमेन्ट में नवीन खसरा नंबर 2352 रकबा 0.45 है. बने, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को जिस वक्त भूमि आवंटित की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थीगण के पिता को उक्त आराजी का आवंटन नियम विरूद्ध हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

8— अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पिता को आवंटित आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 93 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा सेटलमेंट पूर्व सम्वत 2014—23 में किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 175 रकबा 0.48 है0 किस्म नहरी I बने तथा सन् 2000—2001 में हुये केचमेन्ट में नवीन खसरा नंबर 2352 रकबा 0.45 है.किस्म नहरी I बने है।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु. तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन अप्रार्थीगण को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

9— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के खाते वर्तमान में वाके ग्राम बमोरीकलां में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 2352 रकबा 0.45 है0 किस्म नहरी I, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 93 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका अप्रार्थीगण के पिता को गलत रूप से आवंटन हुआ है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मॉगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

10— तहसीलदार, मॉगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2352 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील—मॉगरोल किस्म नहरी I की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन,बेचान,हस्तान्तरण व खुर्द—बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर, बारां
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested